न्यायालयः–अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , सरदारशहर, जिला–चूरू।

पीठासीन अधिकारी	**:**	**नवदीप, आर.जे.एस.**
फौजदारी मूल प्रकरण संख्या	:	61/2015
सी.आई.एस. संख्या	:	261/2015
सी.एन.आर. संख्या	:	RJCH130003422015
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	:	8/2015
पुलिस थाना	:	सरदारशहर

(10 वर्ष से अधिक पुराना प्रकरण)

राजस्थान राज्य

ब ना म

1. युनुस उर्फ भलू पुत्र निजामुद्दीन, निवासी पीरकामड़िया, थाना टीबी, जिला हनुमानगढ़।
2. अमीर पुत्र रसीद खां, निवासी पीरकामड़िया, थाना टीबी, जिला हनुमानगढ़।
3. शहनवाज पुत्र गुलाब, निवासी पीरकामड़िया, थाना टीबी, जिला हनुमानगढ़। (मफरूर दिनांक 08.08.2025)

––अभियुक्तगण

अपराध अंतर्गत धारा 379 व 411 भारतीय दण्ड संहिता, 1860

उपस्थित–

1. डॉ. प्रकाश गढ़वाल, विद्वान अभियोजन अधिकारी वास्ते राज्य।
2. श्री रूपचंद सोनी, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त सं.1 व 2 की ओर से।

Date of Offence	24.12.2014
Date of FIR	03.01.2015
Date of Chargesheet	16.02.2015
Date of Framing Charges	28.04.2015
Date of Commencement evidence	18.08.2015
Statement u/s 313 Cr.P.C. Recorded on	01.09.2025
Date of Complition of Arguements	04.09.2025

–: निर्णय :– **दिनांकः 04 सितंबर, 2025**

1. **दौराने विचारण दिनांक 08.08.2025 को प्रकरण के अभियुक्त शहनवाज को मफरूर घोषित किया गया था, अतः प्रकरण का अभियुक्तगण युनुस उर्फ भलू व अमीर की हद तक ही निस्तारण किया जा रहा है।**

2. दिनांक 04.07.2025 को उक्त प्रकरण को श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, चूरू के आदेश क्रमांक 1(जी)(1)स्था./2025/132 दिनांकित 03.07.2025 की पालना में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर के न्यायालय से अंतरित होकर न्यायालय हाजा में प्राप्त हुआ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि परिवादी जीवणराम ने दिनांक 03.01.2015 को एक लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना, सरदारशहर में इस आशय की पेश की कि वह भोजरासर तहसील सरदारशहर का निवासी है, उसके घर के पास ही उसका उसका बाङा है और उसके 50 भेड़े है और उसके बाड़ा में रात को वहां वह इनको रखता है। दिनांक 24.12.2014 को रात में करीब 2 बजे के लगभग उसके 6 मिंड़े बाड़ों से निकाल कर अज्ञात चोर ले गए। उनके पास पिकअप भी थी। फिर उसने उसके भाई नोपाराम को जगाया और बताया कि चोर मिंढे ले गए। उन्होंने वहां जाकर देखा तो दो व्यक्तियो के पद चिह्न मिलें, इत्यादि।

उक्त लिखित रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 08/2015 दर्ज की जाकर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण युनुस उर्फ भलू, अमीर व शहनवाज के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया गया, जिस पर उक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 379 व 411 भारतीय दंड संहिता में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया।

3. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्तगण युनुस उर्फ भलू व अमीर को धारा 379 व 411 भारतीय दंड संहिता का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को सन्देह से परे साबित करने हेतु अभियोजन पक्ष द्वारा निम्न गवाह को परीक्षित करवाया गयाः–

क्र.सं.	साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
1	पी.डब्ल्यू. 1	जीवणराम	परिवादी
2	पी.डब्ल्यू. 2	किशनलाल	नक्शा मौका
3	पी.डब्ल्यू.3	भगवानाराम	नक्शा मौका
4	पी.डब्ल्यू.4	नोपाराम	बचस्म वाका
5	पी.डब्ल्यू.5	हेतराम	बचस्म वाका
6	पी.डब्ल्यू.6	आमीन	बचस्म वाका
7	पी.डब्ल्यू.7	काशीराम	बचस्म वाका
8	पी.डब्ल्यू.8	रावतराम	बचस्म वाका
9	पी.डब्ल्यू.9	बलवंतसिंह	अनुसंधान अधिकारी

5. अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को सन्देह से परे साबित करने हेतु अभियोजन पक्ष द्वारा निम्न दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गयाः–

क्र.सं.	**दस्तावेजों की प्रकृति**	**प्रदर्श संख्या**
1.	लिखित रिपोर्ट	प्रदर्श पी.1
2.	चाक एफआईआर	प्रदर्श पी.2
3.	फर्द बरामदगी	प्रदर्श पी.3
4.	नक्शा मौका	प्रदर्श पी.4
5.	फर्द तस्दीक घटनास्थल	प्रदर्श पी.5
6.	पुलिस बयान नोपाराम	प्रदर्श पी.6
7.	पुलिस बयान हेतराम	प्रदर्श पी.7
8.	पुलिस बयान आमीन	प्रदर्श पी.8
9.	पुलिस बयान काशीराम	प्रदर्श पी.9
10.	पुलिस बयान रावताराम	प्रदर्श पी.10
11.	फर्द गिरफ्तारी युनुस, अमीर व शहनवाज	प्रदर्श पी.11 ता 13
12.	घटनास्थल तस्दीक	प्रदर्श पी.14
13.	फर्द जब्ती कार	प्रदर्श पी.15
14.	फर्द इत्तिला	प्रदर्श पी.16
15.	नक्शा मौका बरामदगी	प्रदर्श पी.17
16.	हालात मौका	प्रदर्श पी.17
17.	फर्द सुपुर्दगी	प्रदर्श पी.18
18.	मूल मालखाना पंजीका	प्रदर्श पी.19
19.	प्रमाणित प्रति मालखाना पंजिका	प्रदर्श पी.19ए
20.	आरोप पत्र	प्रदर्श पी.20

6. अभियुक्तगण युनुस उर्फ भलू व अमीर की परीक्षा अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत की गई। अभियुक्त ने अपने विरुद्ध आई साक्ष्य को गलत बताते हुए कथन किए कि वह निर्दोष है, उन्हें झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण ने साक्ष्य सफाई नहीं पेश करना चाहा।

7. दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने जाहिर किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त पर आरोपित अपराध

संदेह से परे प्रमाणित किया है, अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दंडित किया जाए।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने जाहिर किया कि प्रकरण में अभियुक्तगण को झूठा फसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से दर्ज करवाई गई। प्रकरण के समस्त स्वतंत्र गवाहान पक्षद्रोही साबित हुए हैं। अभियोजन मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश कर अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को संदेह का लाभ देकर आरोपित अपराध में बरी फरमाया जाए।

8. हस्तगत प्रकरण के विधिपूर्ण निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष अवधार्य बिन्दू यह है किः–

1. आया अभियुक्तगण युनुस उर्फ भलू व अमीर ने दिनांक 24.12.2014 को रात में करीब दो बजे ग्राम भोजरासर तहसील सरदारशहर स्थित परिवादी जीवणराम के बाड़े से सकी 50 भेड़े बिना उसकी सहमति से बेईमानीपूर्वक आशय से चुरा कर बाड़े से हटाई तथा उक्त भेड़े चुराई हुई संपत्ति होना जानते हुए भी आपने उक्त भेड़ों को अपने पास रखा?
2. यदि उक्त अवधार्य बिन्दू सकारात्मक रूप से साबित होता है तो अभियुक्त किस दण्ड से दण्डित किये जाने का पात्र है ?

9. अवधार्य बिंदु के संबंध में बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का परिशीलन किया गया। अवधार्य बिंदु के संबंध में न्यायालय का विवेचन इस प्रकार है कि अभियुक्त पर आरोपित अपराध को साबित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज लिखित रिपोर्ट है, जो कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्शपी–1 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया है तथा उक्त लिखित रिपोर्ट के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण साक्षी परिवादी जीवणराम है, जो कि अभियेाजन पक्ष की ओर से पी.डब्ल्यू.1 के रूप में परीक्षित हुआ है। परिवादी जीवणराम पी.डब्ल्यू.1 पूर्णतया पक्षद्रोही साबित हुआ है। लिखित रिपोर्ट के संबंध में उक्त गवाह मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि उन्होंने सरदारशहर आकर मुकदमा दर्ज करवाया था, जिस बाबत आवेदन प्रदर्शपी–1 थाने में दिया था, जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष यह तथ्य साबित करने में सफल रहा है कि परिवादी जीवणराम द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट के आधार पर हस्तगत प्रकरण संस्थित हुआ है।

10. जहां तक अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 379 भारतीय दंड संहिता का प्रश्न है तो यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि उक्त अपराध स्वामित्व के विरुद्ध किया गया अपराध नहीं होकर कब्जे के विरुद्ध किया गया अपराध

है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पूर्व में परिवादी जीवणराम के द्वारा लिखित रिपोर्ट प्रदर्शपी–1 पेश की गई थी, वह अज्ञात के विरुद्ध दर्ज की गई है। स्वयं परिवादी व अन्य गवाहों के बयानों से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में घटना के समय कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं रहा है। इस स्थिति में यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि जहां किसी भी घटना के संबंध में चक्षदुर्शी साक्षी का अभाव हो, वहां अभियोजन पक्ष को संपूर्ण घटनाक्रम को कड़ीबद्ध रूप से अभियुक्तगण के विरुद्ध संदेह से परे साबित करना होता है, जिस कड़ी का केवल व केवल मात्र यह ही अंतिम नतीजा हो कि अपराध अभियुक्तगण के द्वारा ही किया गया हो, अन्य किसी के द्वारा नहीं। इस कड़ी का प्रथम चरण यह है कि जिस स्थान से अभियुक्तगण द्वारा चोरी करना बताया गया है, उक्त स्थान परिवादी जीवणराम के ही कब्जे का स्थान हो। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष द्वारा बरामदगीस्थल बाड़े पर परिवादी के स्वामित्व के संबंध में कोई दस्तावेज प्रदर्शित नहीं करवाया गया है। स्वयं परिवादी जीवणराम पी.डब्ल्यू.1 के रूप में परीक्षित हुआ है। उक्त गवाह अपने मुख्य परीक्षण में केवल मात्र यह कथन करता है कि 24 तारीख की रात को 6 मिंडे गाड़ी में डालकर चोरी कर ले गए। जबकि उक्त गवाह अपनी लिखित रिपोर्ट में घर के पास स्थित बाड़े से चोरी होने का कथन करता है। इसके अतिरिक्त जहां तक नक्शा मौका घटना प्रदर्शपी–4 का प्रश्न है तो इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित स्वतंत्र गवाह किशनलाल पी.डब्ल्यू.2 व भगवानाराम पी.डब्ल्यू.3 पूर्णतया पक्षद्रोही साबित हुए हैं तथा एक स्वर में प्रदर्शपी–4 नक्शा मौका पर हस्ताक्षर थाने में सादे कागजों पर करने का कथन करते हैं। बचाव पक्ष द्वरा नक्शा मौका प्रदर्शपी–4 के संबंध में अनुसंधान अधिकारी से जिरह करने अनुसंधान अधिकारी बलवंतसिंह पी.डब्ल्यू.9 द्वारा जिरह में यह कथन किया गया है कि मैंने नक्शा–मौका प्रदर्श पी 04 पर परिवादी जीवणराम के हस्ताक्षर भी नहीं करवाये थे। जहां स्वयं परिवादी अपनी लिखित रिपोर्ट में अपने बाड़े से चोरी होना बताता है, वहीं दूसरी ओर नक्शा मौका पर परिवादी के हस्ताक्षर नहीं होना भी अभियोजन कहानी को संदेहास्पद करता है। आगे जिरह में उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि यह कहना सही है कि मैंने घटनास्थल के पडौसी लालचंद, पूनमचंद व हडमानाराम के बयान लेखबद्ध नहीं किये थे। अजखुद कहा कि पडौसी नोपाराम के बयान लेखबद्ध किये थे। यह सही है कि नक्शा–मौका प्रदर्श पी 04 में नोपाराम को पडौसी के रूप में नहीं दर्शाया गया है। इस प्रकार प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी द्वारा न तो नक्शा मौका प्रदर्शपी–4 पर परिवादी के हस्ताक्षर नहीं है और न ही घटनास्थल के पड़ौसीयान लालचंद, पूनमचंद व हडमानाराम के हस्ताक्षर है, जो कि प्रथम दृष्टया ही नक्शा मौका की सत्यता को संदेहास्पद करता है। इसके अतिरिक्त घटनास्थल परिवादी के कब्जे व स्वामित्व का होने के संबंध में भी कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है। इसके अतिरिक्त परिवादी जीवणराम द्वारा लिखित

रिपोर्ट में वर्णित चोरीशुदा भेड़े (मिंडे) स्वयं की खरीदशुदा हो, इस संबंध में भी कोई बिल इत्यादि प्रदर्शित नहीं करवाया गया है। इसके अतिरिक्त गवाहान के बयानों से यह स्पष्ट है कि परिवादी जीवणराम का अभियुक्तगण से राजीनामा हो गया है तथा उसके द्वारा गुमशुदा मिंडो के रूपये अभियुक्तगण से प्राप्त कर लिए हैं, इस स्थिति में इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रकरण में भेड़ों (मिंडों) की खरीद–फरोख्त को हो तथा आपस में बात बिगड़ जाने पर चोरी संबंधित मुकदमा दर्ज करवाया दिया गया हो। परिवादी के द्वारा अपनी लिखित रिपोर्ट में व बयान अंतर्गत धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता में घटना अज्ञात के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई गई है। पुलिस के द्वारा वरवक्त घटना भेड़ों पर परिवादी का मालिकाना हक हो, इसके संबंध में कोई स्पष्ट दस्तावेज पत्रावली पर प्रदर्शित नहीं करवाए गए हैं। इस स्थिति में अभियोजन पक्ष प्रारम्भ से ही भेड़ों पर घटना के समय परिवादी का कब्जा रहा हो तथा उसके कब्जे से भेड़ें चोरी की गई हो, यह तथ्य ही संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

इसके अतिरिक्त प्रकरण में जहां पूर्व में कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है, इस स्थिति में अभियुक्त को घटना से जोड़ने वाला एक मात्र दस्तावेज फर्द बरामदगी प्रदर्शपी–3 है, जिसके संबंध में गवाह परिवादी जीवणराम न्यायालय के समक्ष पी.डब्ल्यू.1 के परीक्षित हुआ है तथा वह जिरह में यह कथन करता है कि "आज मुझे याद नहीं है कि प्रदर्श पी 03 पर मेरे हस्ताक्षर सादे कागज पर करवाये थे या लिखापढी करने के बाद करवाये थे। प्रदर्श पी 03 पर मेरे ए से बी स्थान पर हस्ताक्षर थाने में ही करवाये थे। मैं पुलिस ने जिन व्यक्तियों का चालान किया था, मैं न तो उन व्यक्तियों को न तो जानता हूँ और ना ही पहचानता हूँ, और ना ही मैंने उनको चोरी करते देखा है।" फर्द बरामदगी का अन्य गवाह सुखवीर न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं हुआ है। अनुसंधान अधिकारी बरामदगी के संबंध में जिरह में कथन करता है कि यह सही है कि अमीर व युनुस से उसने चोरी के किसी सामान को बरामद नहीं किया था। यह भी सही है कि अमीर व युनुस को मैंने दफा 27 का कोई नोटिस नहीं दिया था। मैंने जो भिड़ें बरामद किए थे, वो अमीर व युनुस से बरामद नहीं किए थे। इस स्थिति में उपरोक्त विवेचन के आधार पर जहां फर्द बरामदगी का महत्वपूर्ण गवाह परिवादी जीवणराम ही फर्द बरामदगी प्रदर्शपी–3 की ताईद नहीं करता है तथा स्वयं अनुसंधान अधिकारी अभियुक्तगण अमीर व युनुस से कोई बरामदगी नहीं होने का कथन करता है तो इस स्थिति में अभियोजन पक्ष यह तथ्य भी संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि जब्ती दिनांक 13.01.2015 को अभियुक्तगण से हुई हो।

इसके अतिरिक्त परिवादी जीवणराम पी.डब्ल्यू.1 अपनी लिखित रिपोर्ट में चोरी की सूचना नोपाराम को देना बताता है। नोपाराम अभियोजन पक्ष की ओर से पी.डब्ल्यू.4 के रूप में परीक्षित हुआ है। नोपाराम पूर्णरूप से पक्षद्रोही साबित हुआ है तथा अपने सशपथ कथनों में कथन करता है कि बयान से 10 से 11 साल पहले की

बात है, हमारे गांव के जीवणराम के बाडे में से भेडे चोरी हुयी थी। उक्त भेडे कब व किसने चोरी की थी, मुझे पता नहीं है। अभियोजन पक्ष की ओर से जिरह के दौरा उक्त गवाह कथन करता है कि मुझे इस बात की जानकारी हो कि दिनांक 23.12.2014 को जीवणराम के बाडे में से 6 मिंडे युनुस, शहनवाज व अमीर चुराकर ले गये हो। आगे अभियुक्तगण की ओर से जिरह के दौरान उक्त गवाह स्पष्ट रूप से कथन करता है कि चोरी किसने की थी मुझे पता नहीं है। मैंने चोरो को चोरी करते हुये नहीं देखा था। इस प्रकार उक्त गवाह की साक्ष्य से भी अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। प्रकरण में अभियेाजन पक्ष की ओर से परीक्षित अन्य स्वतंत्र गवाहान किशनलाल पी.डब्ल्यू.2, भगवानाराम पी.डब्ल्यू.3, हेतराम पी.डब्लयू.5, आमीन पी.डब्ल्यू.6, काशीराम पी.डब्ल्यू.7, रावताराम पी.डब्ल्यू.8 पूर्णरूप से पक्षद्रोही साबित हुए हैं तथा न्यायालय के समक्ष अपने धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के बयानों से पूर्णतया विपरित कथन किए हैं तथा चोरी घटना देखने व सुनने के तथ्यों से ही इनकार करते हैं।

चूंकि पूर्व में अभियोजन पक्ष यह तथ्य साबित करने में असफल रहा है कि उक्त भेड़े (मिंडे) की बरामदगी के समय किसी भी प्रकार से चोरीशुदा भेड़े (मिंडे) रही हो। यद्यपि यदि उक्त तथ्यों को मान भी लिया जाए कि भेड़े (मिंडे) चोरीशदु़ा थी, तब भी उक्त भेड़े (मिंडे) को अभियुक्तगण से बरामद किया गया था, यह तथ्य भी प्रदर्शपी–3 के संबंध में पूर्व के विवेचन से अभियोजन पक्ष संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। जिस स्थान से भेड़े (मिंडे) बरामद की गई, वह स्थान अभियुक्त के कब्जे में रहा हो व उसका एकमात्र चैतन्य कब्जा रहा हो, इसके संबंध में कोई दस्तावेज अभियोजन पक्ष द्वारा प्रदर्शित नहीं करवाए गए हैं। इसके अतिरिक्त प्रकरण में अभियुक्तगण से जब्तशुदा वाहन मारूती कार सं. डीएल 8सीई 6777 के संबंध में अनुसंधान अधिकारी कथन करता है कि प्रदर्शपी–15 में बरामदशुदा गाड़ी किस व्यक्ति के नाम से थी, आज मुझे याद नहीं है। मैंने बरामदशुदा मारूति कार की आरसी प्राप्त की थी या नहीं की थी, मुझे याद नहीं है। आगे उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि उक्त कार घटना के समय किसके द्वारा उपयोग की जा रही थी, इस बाबत मैंने कोई जांच की थी या नहीं, आज मुझे याद नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त समग्र विवेचन से अभियोजन पक्ष चोरीशुदा भेड़ो (मिंड़ों) की जब्ती के तथ्यों को भी प्रदर्शपी–3 के अनुसार संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अभियोजन पक्ष पूर्व के विवेचन के अनुसार यह तथ्य भी साबित करने में असफल रहा है कि जब्तशुदा भेड़ो (मिंड़ों) अभियुक्तगण के अनन्य कब्जे से बरामद हुआ हो। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध कड़ीबद्ध रूप से साबित करने में असफल रहा है, जिससे कि इस नतीजे पर संदेह से परे पहुंचा जा सके कि अपराध केवल अभियुक्तगण के द्वारा ही किया गया हो, अन्य किसी के द्वारा नहीं। इसके अतिरिक्त 11

जहां तक अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 411 भारतीय दंड संहिता का प्रश्न है तो अभियोजन पक्ष द्वारा जहां सर्वप्रथम प्रकरण में बरामदशुदा भेड़े (मिंड़े) चोरीशुदा होने के तथ्यों को ही साबित करने में असफल रहा है, तो चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त किया जाने का तथ्य भी अपने आप में ही संदेहास्पद हो जाता है। इसके अतिरिक्त लिखित रिपोर्ट प्रदर्शपी–1 में वर्णितानुसार घटना दिनांक 24.12.2014 की रात्रि को होना बताया गया है, जबकि परिवादी जीवणराम द्वारा थाना में लिखित रिपोर्ट दिनांक 03.01.2015 को दर्ज करवाई गई है। उक्त देरी के संबंध में कोई कारण न तो परिवादी ने अपनी लिखित रिपोर्ट में वर्णित किया है और न ही परिवादी द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने सशपथ कथनों में बताया है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में यदि किसी प्रकार से कोई देरी की गई है और उक्त देरी का कोई युक्तियुक्त कारण अभियोजन पक्ष द्वारा पेश नहीं किया गया है तो उक्त देरी अभियोजन पक्ष के संपूर्ण घटनाक्रम को संदेहास्पद करने के लिए पर्याप्त है। उपरोक्त विवेचन को न्यायिक दृष्टांत Rajeev Vs State of Hariyana (2013) 12 SCC 753, State of Punjab Vs Gurmit SIngh 1996 (2) SCC 673, Lal Saheb Singh Vs State of Bihar, 2003(11) SCC 388 व State of U.P. Vs Harihar Singh 2007(13) SCC 676 में प्रतिपादित सिद्धांतों से भी बल प्रदान होता है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं प्रस्तुत साक्ष्य के समग्र अवलोकन के पश्चात अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध उक्त अवधार्य बिंदु में निहित अपराध श्रृंखलाबद्ध, विश्वसनीय, ठोस एवं युक्तियुक्त साक्ष्य पेश कर सन्देह से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है जिससे यह साबित होता हो कि अभियुक्तगण युनुस उर्फ भलू व अमीर ने दिनांक 24.12.2014 को रात में करीब दो बजे ग्राम भोजरासर तहसील सरदारशहर स्थित परिवादी जीवणराम के बाड़े से सकी 50 भेड़े बिना उसकी सहमति से बेईमानीपूर्वक आशय से चुरा कर बाड़े से हटाई तथा उक्त भेड़े चुराई हुई संपत्ति होना जानते हुए भी आपने उक्त भेड़ों को अपने पास रखा हो। अतः अभियुक्तगण युनुस उर्फ भलू व अमीर को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 379 व 411 भारतीय दंड संहिता में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

11. अतः अभियुक्त सं.1. युनुस उर्फ भलू पुत्र निजामुद्दीन, निवासी पीरकामड़िया, थाना टीबी, जिला हनुमानगढ़ व अभियुक्त सं.2. अमीर पुत्र रसीद खां, निवासी पीरकामड़िया, थाना टीबी, जिला हनुमानगढ़ को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 379 व 411 भारतीय दंड संहिता में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

12. अभियुक्तगण को यह आदेश दिया जाता है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर उपस्थित होने बाबत प्रत्येक अभियुक्त धारा 437(ए) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत छः माह की अवधि के लिये 10,000/– रूपये की जमानत एवं इसी कदर राशि का स्वयं का मुचलका इस न्यायालय में पेश करे। उपरोक्तानुसार जमानत मुचलके पेश होने पर अभियुक्त द्वारा अपनी नियमित उपस्थिति बाबत् पूर्व में पेश किये गये जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

13. प्रकरण में दौराने विचारण दिनांक 08.08.2015 को अभियुक्त शहनवाज को प्रकरण में मफरूर घोषित किया गया है, अतः पत्रावली का कोई भी भाग नष्ट नहीं किया जावे। पत्रावली का कोई भी भाग नष्ट नहीं किए जाने बाबत लाल स्याही से पत्रावली के सरबरक पर नोट भी अंकित किया जाए।

(नवदीप) आरजेएस
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सरदारशहर, जिला–चूरू।

14. निर्णय आज दिनांक 04.09.2025 को विवृत न्यायालय में लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित, मुद्रांकित कर सुनाया गया।

(नवदीप) आरजेएस
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सरदारशहर, जिला–चूरू।